सरल कानूनी ज्ञान माला – 33

बंदियों के कानूनी अधिकार एवम् कानूनी ज्ञान

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : **slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com**

बंदियों के कानूनी अधिकार एवम् कानूनी ज्ञान

भारतवर्ष में अपराध की रोकथाम, उनके सम्बन्ध में विवेचना तथा उनके निवारण का प्राविधान, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में दिए गए हैं।

अपराध क्या है ?

अपराध क्या है तथा कौन–कौन से कृत्य मुख्य रुप से अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनका उल्लेख भारतीय दण्ड विधि (Indian Penal Code) में उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक अधिनियम पारित किये गये हैं, जिनमें कुछ कृत्यों को अपराध की श्रेणी में माना गया है। इनमें मुख्य रुप से एन0डी0पी0सी0 एक्ट, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार निवारण अधिनियम, गैगस्टर एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आदि शामिल हैं।

अपराध दो प्रकार के होते हैंः– संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध।

संज्ञेय अपराध

संज्ञेय अपराध वह अपराध है, जिनके घटित होने पर तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) अन्तर्गत धारा–154 सी0आर0पी0सी0 दर्ज की जा सकती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस के पास अभियुक्त को बिना वारण्ट गिरफ्तार करने का भी प्राविधान उपलब्ध है।

असंज्ञेय अपराध

असंज्ञेय अपराध वह अपराध है, जिनके घटित होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) को दर्ज नहीं किया जाता है। केवल गैर–संज्ञेय रिपोर्ट (एन0सी0आर0) दर्ज की जाती है।

संज्ञेय अपराध के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस के पास विवेचना करने का पूर्ण अधिकार उपलब्ध है, जबकि अंसज्ञेय अपराध में पुलिस स्वंय अपने आप से विवेचना नहीं कर सकती है, अपितु न्यायालय की अनुमति से ही विवेचना की जा सकती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट – कैसे दर्ज करे

संज्ञेय अपराध घटित होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 154 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत दर्ज की जा सकती है। पुलिस के पास यह अधिकार नहीं है कि वह संज्ञेय अपराध में घटना होने की सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज न करें। पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार करने पर पीड़ित पक्ष अपना प्रार्थना–पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक के जरिये भी भेज सकता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष द्वारा ही इसे दर्ज किया जाए, अपितु किसी अपराध के घटित होने की सूचना कोई भी व्यक्ति थाने में दे सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मौखिक भी हो सकती है तथा लिखित प्रार्थना–पत्र के रुप में भी हो सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति को प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति निःशुल्क दी जाती है।

पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार करने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा प्रेषित प्रार्थना–पत्र दिये जाने के उपरान्त् भी यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, तो, पीड़ित पक्ष के पास यह उपचार है कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय की यह सन्तुष्टि होने पर कि मामले में प्रथम दृष्टया रुप से संज्ञेय अपराध हुआ है तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थिति इस प्रकार की है कि पुलिस द्वारा विवेचना करायी जानी आवश्यक है, तब न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए जा सकते है।

परिवाद पर आधारित केश

पीड़ित पक्ष के पास यह भी उपचार उपलब्ध है कि वह न्यायालय में धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। परिवाद प्रस्तुत करने पर परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा–200 सी0आर0पी0सी0 शपथ पर अंकित किये जाते है

तथा उसके गवाहों के बयान धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत अंकित किये जाते है। प्रत्येक परिवादी/पीड़ित पक्ष साक्ष्य के रुप में दस्तावेज को भी पेश कर सकता है। यदि परिवादी किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में जोकि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तब उस परिस्थिति में परिवादी द्वारा धारा–202 सी0आर0पी0सी के अन्तर्गत अपने समस्त गवाहों व साक्ष्यों को प्रस्तुत करना होता है। धारा–202 सी0आर0पी0सी के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के पास यह क्षेत्राधिकार है कि वह मामले की जांच पुलिस से करवा सकता है।

विवेचना

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त् पुलिस द्वारा विवेचना आरम्भ की जाती है। विवेचना के दौरान सर्वप्रथम घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है तथा पीड़ित पक्ष एवं घटना से सम्बन्धित गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 अंकित किये जाते है। महत्वपूर्ण गवाहों के बयान धारा–164(5) सी0आर0पी0सी के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर अंकित किये जाने का भी प्राविधान है। धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान भी विवेचक द्वारा अंकित किये जाते है। विवेचना के दौरान घायल व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण भी करवाया जाता है तथा मृत्यु का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाये जाने का भी प्राविधान है।

विवेचना के उपरान्त् यदि विवेचक यह पाता है कि मामले में कोई अपराध होना नहीं पाया गया है, तो वह अंतिम रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

गिरफ्तारी

विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने का प्राविधान दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपलब्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जोगिन्दर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाले मामलों में यह निर्देश दिये हैं कि गिरफ्तारी प्रत्येक मामलों में नहीं की जानी चाहिए तथा गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अनेक दिशा–निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में दिए गए हैं। विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये बाधित नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी क्योंकि किसी व्यक्ति के स्वतन्त्रता को प्रभावित करती है, इसलिए गिरफ्तारी साधारणतयाः उन मामलों में की जानी चाहिए, जहाँ परः–

1. अपराध गम्भीर प्रकृति का हो,
2. अभियुक्त के फरार होने या न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर जाने का भय हो,
3. अभियुक्त द्वारा गवाहों व पीड़ित पक्ष को डराया या धमकाया जा रहा हो,
4. या ऐसी कोई परिस्थिति हो, जहाँ पर विवेचक का यह सदभावी मत हो कि गिरफ्तारी, विवेचना के विधिपूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक है।

विवेचक के पास यह भी अधिकार है कि वह अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु न्यायालय से गैर–जमानतीय अधिपत्र प्राप्त कर सकता है।

गिरफ्तारी के समय महत्वपूर्ण अधिकार

गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार है, जिनका उल्लेख दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय–5 में दिया गया है। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के पास इस बात का पूर्ण अधिकार है कि उसे इस बात की जानकारी हो कि उसे किस अपराध के लिए तथा किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिवार, रिश्तेदार अथवा मित्रों को दी जानी भी आवश्यक है तथा इस सम्बन्ध में फर्द तैयार किये जाने का भी प्राविधान है। इस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट को भी इस बात की सन्तुष्टि कर लेनी चाहिए कि क्या पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिवार, रिश्तेदार अथवा मित्रों को दी है या नहीं। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी के दौरान उसका जो भी सामान बरामद किया जाता है, उसकी फर्द तैयार की जानी चाहिए तथा उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए और यदि किसी महिला अभियुक्त की तलाशी ली जानी है तो महिला पुलिसकर्मी द्वारा तलाशी लिए जाने का

प्राविधान है। गिरफ्तार व्यक्ति को इस बात का भी अधिकार है कि वह अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों को खण्डित करने के लिए चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

इसके अतिरिक्त विवेचक को भी इस बात का अधिकार है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण मामले में साक्ष्य एकत्रित करने हेतु करवा सकता है तथा इस प्राविधान को माननीय उच्चतम न्यायालय ने गैर–संवैधानिक नहीं माना है। विवेचक द्वारा कराये गये चिकित्सीय परीक्षण में अभियुक्त के रक्त, वीर्य, बाल, नाखून का हिस्सा आदि भी लिए जा सकते हैं। गिरफ्तारी के उपरान्त विधि का यह प्राविधान है कि अभियुक्त को गिरफ्तारी से 24 घण्टे के भीतर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए।

हिरासत;**Custody)**

अभियुक्त को दो प्रकार की हिरासत में रखा जा सकता है:– न्यायिक हिरासत तथा पुलिस हिरासत (पुलिस रिमाण्ड)।

न्यायिक हिरासत

अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में तब रखा जा सकता है जब अभियुक्त को गिरफ्तारी के 24 घण्टे के भीतर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया हो और मजिस्ट्रेट द्वारा उसको न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश पारित किये गये हो। न्यायिक हिरासत के दौरान अभियुक्त को विचाराधीन बंदी के रुप में कारागार में रखा जाता है। न्यायिक हिरासत की अवधि के दौरान प्रत्येक 15 दिन की अवधि पूर्ण होने से पूर्व विवेचक को न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र मय् अभियुक्त प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह भी आवश्यक है कि न्यायिक हिरासत के लिए आदेश पारित करते समय तथा उसकी अवधि को बढ़ाने के समय अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। यदि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है तब इस परिस्थिति में 10 साल की सजा से दण्डनीय अपराध की विवेचना 60 दिन के भीतर पूर्ण की जानी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक की सजा से दण्डनीय अपराध की विवेचना 90 दिन के अन्दर पूर्ण की जानी चाहिए। इस निर्धारित अवधि में विवेचना पूर्ण न होने पर अभियुक्त के पास जमानत पर रिहा होने का अधिकार हो जाता है।

पुलिस हिरासत (पुलिस रिमाण्ड)

पुलिस हिरासत (पुलिस रिमाण्ड) अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त् केवल पहले 15 दिन तक दी जा सकती है। उसके उपरान्त् पुलिस रिमाण्ड की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस रिमाण्ड के आरम्भ होने से पूर्व अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना आवश्यक है। पुलिस रिमाण्ड की अवधि के दौरान भी अभियुक्त के साथ किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार या उत्पीड़न किये जाने/करने की अनुमति नही है तथा वह गैर–न्यायिक है। पुलिस रिमाण्ड की अवधि पूर्ण होने पर भी अभियुक्त को कारागार में वापिस दाखिल करने पर अभियुक्त का पूर्ण चिकित्सीय परीक्षण करवाया जाना अनिवार्य है। पुलिस रिमाण्ड के दौरान अभियुक्त न्यायालय की अनुमति से अपने अधिवक्ता को साथ रख सकता है, किन्तु अभियुक्त के अधिवक्ता को विवेचना में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है।

धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बयान

विवेचना के दौरान यदि अभियुक्त अपना जुर्म स्वीकार करना चाहता है तो उसके लिए, उसके द्वारा अथवा विवेचक के द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 164 सी0आर0पी0सी प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर अभियुक्त को इस बात की हिदायत दी जाती है कि अभियुक्त अपना जुर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और वह अपने प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में

सोच–विचार कर सकता है। इस सोच–विचार की अवधि में अभियुक्त का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में कारागार में रखे जाने का प्राविधान है। यदि अभियुक्त को न्यायिक हिरासत से आने पर तथा यह कहने पर कि उसने जुर्म स्वीकार करने हेतु सोच–विचार कर लिया है और वह तैयार है, तभी उसी परिस्थिति में अभियुक्त की स्वःस्वीकृति पर बयान अंकित किये जा सकते हैं।

जमानत

अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त् सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी जमानत का है। जमानत के आधार पर अपराध दो प्रकार के हैः जमानतीय तथा गैर–जमानतीय।

जमानतीय अपराध

जमानतीय अपराध में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का प्राविधान है तथा यह उसका संवैधानिक अधिकार भी है कि उसे जमानतीय अपराध में जमानत पर रिहा किया जाए। जमानतीय मामलों में जमानत, अभियुक्त के व्यक्तिगत बन्ध पत्र पर अथवा विश्वसनीय जमानती के आधार पर प्रदान की जा सकती है। विधि का यह भी सिद्धान्त है कि यदि अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से एक सप्ताह तक जमानती प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उस परिस्थिति में अभियुक्त को निर्धन व्यक्ति माना जाता है और उसे उसके व्यक्तिगत बन्ध पत्र पर रिहा किया जा सकता है। यदि अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में जमानत की शर्त का उल्लघंन किया जाता है, तो उस परिस्थिति में जमानतीय अपराध में पुनः जमानत प्राप्त करने का अभियुक्त का अधिकार समाप्त हो जाता है।

गैर–जमानतीय अपराध

गैर–जमानतीय अपराध में जमानत प्राप्त करने का अभियुक्त का अधिकार नहीं है, अपितु वह न्यायालय के विवेकाधिकार के अधीन है। विभिन्न न्यायालयों के न्याय निर्णयों द्वारा यह सिद्धान्त स्थापित किया जा चुका है कि यह विवेकाधिकार कानून तथा नियमों के अनुरुप इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गैर–जमानतीय मामलों में जमानत दी जानी चाहिए या नहीं इसके लिए प्रश्नगत अपराध की सजा, व किसके साथ किया गया है, अभियुक्त के भागने का भय है या अभियुक्त द्वारा गवाहों को डराये या धमकाये जाने की सम्भावना जैसे बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए। मृत्युदण्ड तथा उम्रकैद से दण्डनीय मामलों में मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा जमानत प्रदान नहीं की जा सकती है।

यदि किसी मामलें में जोकि मृत्युदण्ड से दण्डित नहीं हो, अभियुक्त द्वारा अपराध की कुल सजा में से आधी अवधि विचाराधीन बंदी के रुप में बिता दी गयी हो तो उस परिस्थिति में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड राज्य में Anticipatory Bailअर्थात् गिरफ्तारी पूर्व जमानत का प्राविधान उपलब्ध नहीं है तथा इस सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता में आवश्यक संशोधन किए गए है। गैर–जमानतीय अपराध वाले मामलों में जमानत प्रदान करते समय शर्तें भी नियत की जा सकती हैं।

जमानत पर रिहा होने पर विवेचना अथवा विचारण के दौरान अभियुक्त अपनी जमातलाशी का सामान वापिस प्राप्त कर सकता है। विवेचना के पूर्ण होने पर तथा विवेचक की सन्तुष्टि पर कि मामले में प्रथम दृष्टया अपराध होने की पुष्टि हुयी है, विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जायेगा तथा आरोप पत्र के साथ उस मामलों के समस्त गवाहों के नाम प्रेषित किये जायेंगे।

शांति भंग के मामले – कार्यपालक मजिस्ट्रेट

अपराध होने पर उसकी विवेचना तथा विचारण का क्षेत्राधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का है। यदि किसी व्यक्ति के आचरण से शन्ति भंग हुयी हो या शन्ति भंग होने की आशंका हो, तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति का चालान दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय–8 के अन्तर्गत किया जाता है तथा उक्त चालान को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया जाता है तथा उक्त व्यक्ति को भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत बन्ध पत्र अथवा जमानती प्रस्तुत करने पर उक्त व्यक्ति को रिहा कर सकता है।

प्रत्येक विवेचक द्वारा विवेचना का उल्लेख केस डायरी में किया जाता है तथा उस केस डायरी का अवलोकन केवल न्यायालय तथा अभियोजन पक्ष द्वारा किया जा सकता है तथा यह केस डायरी अभियुक्त को दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

चार्जशीट न्यायालय में दाखिल होने पर उसे एक अपराधिक मुकदमें के रुप में दर्ज किया जाता है तथा अभियुक्त यदि जमानत पर है तो उसे सम्मन प्रेषित किया जाता है। अभियुक्त यदि सम्मन की तामीली पर न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो अतिरिक्त आदेशिका प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होती है और यदि अभियुक्त न्यायालय में सम्मन की तामीली पर उपस्थित नहीं आता है तो उस परिस्थिति में न्यायालय जमानतीय वारण्ट जारी कर सकता है। जमानतीय वारण्ट की तामीली होने पर भी यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आता है तो उस परिस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध गैर–जमानतीय वारण्ट (एन0बी0डब्लू0) जारी किए जा सकते है। गैर–जमानतीय अधिपत्र जारी करते समय अभियुक्त की जमानत को भी निरस्त किया जा सकता है। गैर–जमानतीय वारण्ट के निष्पादन में पुलिस के पास यह अधिकार है कि वह अभियुक्त को गिरफ्तार कर, न्यायालय में पेश करें।

यदि अभियुक्त जान–बूझकर सम्मन या जारी गैर–जमानतीय अधिपत्र से बच रहा है तथा न्यायालय में पेश नहीं आ रहा है तो उस परिस्थिति में अभियुक्त की सम्पत्ति को कुर्क करने की उद्घोषणा की जा सकती है तथा उद्घोषणा की तिथि से एक माह की अवधि के बीत जाने पर भी यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आता है, तो, अभियुक्त की सम्पत्ति को कुर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त की जमानत निरस्त करते समय जमानत की धनराशि को वसूलने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है तथा जमानतियों को भी निर्देश प्रेषित किये जा सकते हैं कि जमानती द्वारा अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाए। असफल रहने पर जमानतीयों से जमानत की धनराशि वसूल की जा सकती है।

अभियुक्त की सम्पत्ति कुर्क होने के बावजूद भी अभियुक्त के गैर–हाजिर रहने पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा–299 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्राविधान है, जिसमें अभियुक्त की अनुपस्थिति में गवाहों के बयान अंकित किये जाते है और अभियुक्त को भगोड़ा घोषित किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी गैर–जमानतीय अधिपत्र जारी किया जाता है, जोकि सम्बन्धित थानों में भी दिया जाता है और इस स्थायी गैर–जमानतीय अधिपत्र के जरिए अभियुक्त को कभी भी, किसी भी स्थान पर गिरफ्तार किया जा सकता है तथा स्थायी गैर–जमानतीय अधिपत्र केवल अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त् ही समाप्त होता है।

यदि अभियुक्त न्यायालय में आदेशिका की तामीली पर उपस्थित हो जाता है तो उस परिस्थिति में अभियुक्त को उन समस्त दस्तावेजों तथा केस डायरी के वह बयान जिन पर अभियोजन पक्ष निर्भर कर रहा है, की नकल/प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

विचारण

अपराधों को विचारण के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया हैः–

1. सम्मन केस

2. वारण्ट केस

जिन मामलों में अपराध की सजा दो वर्ष या उससे कम है, उन मामलों में सम्मन केस की प्रक्रिया अपनायी जाती है तथा ऐसे केस जिनमें सभी अपराध अथवा कोई एक अपराध ऐसा है, जिसकी सजा दो वर्ष से अधिक है, तो उस केस में वारण्ट केस की प्रक्रिया अपनायी जाती है। सम्मन केस में अभियुक्त का बयान अंकित किया जाता है, जिसमें उसके विरुद्ध आरोपों से उसे अवगत कराया जाता है तथा आरोप के सम्बन्ध में उसका उत्तर मांगा जाता है। इसके दूसरी तरफ वारण्ट केस में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाते है, जिसमें अपराध का विवरण उल्लेखित किया जाता है।

बयान मुल्जिम अथवा आरोप के विरचित किये जाने के उपरान्त् अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अंकित किया जाता है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूर्ण होने पर अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया जाता है, जिसमें अभियुक्त को उसके विरुद्ध आये साक्ष्य से अवगत कराया जाता है तथा अभियुक्त से साक्ष्य के सम्बन्ध में उत्तर मांगा जाता है। तद्उपरान्त् अभियुक्त को अपनी सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है और अभियुक्त पक्ष की सफाई साक्ष्य पूर्ण होने पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनी जाती है। तद्उपरान्त् मामलें में निर्णय पारित किया जाता है। अभियुक्त को दोशी पाये जाने की स्थिति में अभियुक्त को पुनः सजा के प्रश्न पर सुना जाता है और तद्नुसार सजा के सम्बन्ध में आदेश पारित किया जाता है।

दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त की जाती है तथा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है तथा सजा सुनाने के उपरान्त उसे कारागार भेज दिया जाता है। अभियुक्त यदि चाहे तो विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है अथवा अपील के सम्बन्ध में अपीलीय न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। विचारण के दौरान अभियुक्त अपना अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, जोकि अभियुक्त की ओर से न्यायालय में पैरवी करता है। यदि अभियुक्त विचाराधीन बंदी है तो, उसे भी मुकदमे की प्रत्येक तिथि में सम्बन्धित न्यायालय में पेश किया जाता है।

यदि अभियुक्त के पास अधिवक्ता नियुक्त करने का कोई साधन नहीं है और वह विचाराधीन बंदी है या निर्धन व्यक्ति है, जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है अथवा वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है, या वह महिला है, या वह मजदूर है, तो उस परिस्थिति में वह न्यायालय में अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में स्वंय अथवा विचाराधीन बंदी के रुप में जेलर के माध्यम से तथा जेलर द्वारा प्रमाणित एक प्रार्थना–पत्र विधिक सहायता हेतु प्रस्तुत कर सकता है। अभियुक्त की पात्रता को देखते हुए अभियुक्त को विधिक सहायता के रुप में अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, जोकि सरकारी खर्च पर मुकदमे में अभियुक्त की ओर से पैरवी करता है। विधिक सहायता हेतु प्रार्थना–पत्र जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य–सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुए प्रेषित किया जाता है। जिला कारागार में निरुद्ध बंदी कारागार से ही अपील भी प्रेषित कर सकता है तथा उसके लिए भी बंदी को विधिक सहायता उपरोक्त प्राधिकरणों/समितियों के माध्यम से प्रदान करायी जाती है।

विचारण के दौरान अभियुक्त के पास यह उपचार भी उपलब्ध है कि वह अपने जुर्म को स्वीकार कर लें तथा प्ली ब्रारगेनिंग (Plea Barganing) के प्राविधानों के तहत कम सजा पा सकता है। सात वर्ष तक दण्डनीय मामले मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सुने जाते है तथा सात वर्ष से अधिक दण्डनीय मामलों की सुनवायी सत्र न्यायालय में होती है।

परिवाद पर आधारित मामलों में न्यायालय द्वारा यह पाये जाने पर कि प्रथम दृष्टया अपराध विपक्षी द्वारा किया गया है, न्यायालय उक्त विपक्षी को अपराध के लिए अभियुक्त के रुप में तलब कर सकता है। यदि मामला सम्मन केस का है तो अभियुक्त के उपस्थित होने पर अभियुक्त का बयान अंकित किया जाता है और उसके उपरान्त् वहीं प्रक्रिया अपनायी जाती है, जोकि आरोप पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त् सम्मन केस के विचारण के लिए अपनायी जाती है। अभियुक्त के साक्ष्य के स्थान पर परिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते है।

यदि मामला वारण्ट केस के रुप में विचारणीय है, तो उस परिस्थिति में अभियुक्त की उपस्थिति में परिवादी व उसके गवाहों के साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 सी0आर0पी0सी अंकित किए जाते है और यह पाये जाने पर कि उक्त साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अपराध पाया

जाता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाते है। आरोप के उपरान्त् परिवादी व उसके गवाहों के साक्ष्य अन्तर्गत धारा 246 अंकित किए जाते है। शेष प्रक्रिया वहीं रहती है, जोकि पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र के उपरान्त् वारण्ट केस के मामले के विचारण में अपनायी जाती है।

निर्णय की प्रति निःशुल्क अविलंम्ब प्राप्त करने का अधिकार

दोषसिद्ध बंदी को यह अधिकार प्राप्त है कि दोषसिद्धि संबधी निर्णय पारित करने वाला न्यायालय निर्णय की प्रति अविलंम्ब एवं निःशुल्क ऐसे बंदी को उपलब्ध करायेगा।

एन0सी0आर पर आधारित केस

एन0सी0आर दर्ज होने के उपरान्त् तथा न्यायालय से विवेचना की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त् वहीं प्रक्रिया अपनायी जाती है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के उपरान्त् अपनायी जाती है तथा विचारण में भी अपराध की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया अपनायी जाती है।

कारागार का निरीक्षण

कारागार में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्येक माह निरीक्षण किया जाता है तथा इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि कोई विचाराधीन बंदी बिना आधार तथा बिना तारीख के कारागार में बन्द न रहे तथा प्रत्येक विचाराधीन बंदी को अपने मुकदमे तथा उसमें नियत तिथि की पूर्ण जानकारी है तथा सभी विचाराधीन बंदियों की पैरवी हेतु व्यक्तिगत अधिवक्ता अथवा विधिक सहायता के रुप में अधिवक्ता उपलब्ध है या नहीं। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है कि बंदियों को नियमानुसार प्रत्येक सुविधाएं प्राप्त हो रही है। जिला जज, जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से भी प्रत्येक तीन माह में एक बार कारागार का निरीक्षण किया जाता है तथा बंदियों की समस्याओं को सुना जाता है तथा उनके समाधान का प्रयास किया जाता है।

कारागार में अधिकार, कर्त्तव्य तथा नियम

कारागार में विचाराधीन बंदी अथवा सजा प्राप्त बंदियों को सुविधाएं उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल, प्रिजनर्स एक्ट (U.P. Jail Manual, Prisoner's Aबज) के अनुसार अनुमन्य है। कारागार में पुरुष तथा महिलाओं के कक्ष अलग–अलग तथा पर्याप्त दूरी पर होने चाहिए। बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रत्येक जेल में डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए और मुख्य रुप से बंदियों के चिकित्सीय इलाज कारागार के भीतर ही होने चाहिए। सजा प्राप्त बंदियों से एक दिन में नौ घण्टे तक काम/परिश्रम करवाया जा सकता है।

कारागार में किए गए कुछ कृत्यों को कारागार अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि, जेल अधिकारी के निर्देश का पालन न करना, झगड़ा करना, गाली–गलौच करना, अनैतिक व्यवहार करना, परिश्रम करने से इन्कार करना, कारागार की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना, टिकट अथवा अन्य रिकार्ड को खराब करना, प्रतिबन्धित समान को रखना या मांगने की कोशिश करना। ऐसे कारागार अपराध के लिए सजा भी उपलब्ध है, जैसे कि, चैतावनी, अधिक से अधिक परिश्रम के काम, एकान्तवास, जोकि तीन माह से अधिक नहीं हो सकता, तथा अन्य सजाएं शामिल है।

कारागार में बंदियों का यह दायित्व रहता है कि जेल में साफ–सफाई बनाए रखें तथा जेल में अनुशासित रहें तथा नियमों का पूर्ण रुप से पालन करें।

कारागार में महिला बंदी अपने छः वर्ष तक के उम्र के बच्चे को अपने साथ रख सकती है। उसके उपरान्त् उक्त बच्चे को उसके परिवार तथा रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है। कारागार में गर्भवती महिला को विशेष भोजन दिए जाने का भी प्राविधान है तथा उनके साथ रह रहे छः वर्ष तक के उम्र के बच्चे को अतिरिक्त तथा विशेष भोजन दिए जाने का प्राविधान है।

किसी बंदी को यदि दो अलग–अलग मामलों में सजा सुनायी गयी है और यदि न्यायालय द्वारा दोनों सजाओं को एक साथ चलाए जाने का आदेश पारित नहीं किया गया है, तब उस परिस्थिति में दोनों सजाएं अलग–अलग चलेगी तथा दोनों सजाओं के कुल योग की सजा बंदी को पूर्ण करनी होगी। सजा प्राप्त बंदी को अकास्मिक परिस्थिति जैसे कि, परिवार में किसी की मृत्यु, विवाह आदि के लिए पैरोल (Parole) पर छोड़ा जा सकता है और Parolम की अवधि पूर्ण होने पर उक्त बंदी को जेल में वापिस आना पड़ेगा। Parole की अवधि भी कुल सजा की अवधि में शामिल होगी।

Paroleके लिए प्रार्थना–पत्र जेल अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। किसी बंदी की सजा कम करने का भी प्राविधान उपलब्ध है तथा वह सजा महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा बंदी के प्रार्थना–पत्र पर कम की जा सकती है।

जेल मैनुअल के नियमों के अनुसार तीन माह से अधिक सजा प्राप्त बंदियों को प्रत्येक माह के लिए तीन दिन की छूट दी जाती है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अर्थदण्ड की सजा मुख्य सजा से अधिक भोगनी होती है। किसी भी विचाराधीन बंदी को हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती है, केवल न्यायालय की अनुमति से ही हथकड़ी लगायी जा सकती है।

जेल में बन्द बंदियों के पास कुछ मौलिक तथा संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है जैसे कि बंदी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाए, प्रत्येक विचाराधीन बंदी के पास यह अधिकार उपलब्ध है कि उसके अपराधिक मामलों की सुनवायी व उसका निस्तारण जल्द से जल्द हो।

अपराध को साबित करने का भार

भारत में दण्डविधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को अभियोजन पक्ष अथवा परिवादी द्वारा संदेह से परे साबित किया जाता है और अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध केस को संदेह से परे साबित करने में यदि सफल हो जाता है, तो उसे संदेह का लाभ देते हुये बरी/दोषमुक्त किया जा सकता है। केवल कुछ ही मामले ऐसे हैं जैसे कि धारा–304बी0 आई0पी0सी तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जहाँ पर अभियुक्त के दोषी होने पर अवधारणा ली जा सकती है और अभियुक्त द्वारा ही इस बात को साबित करना होगा कि वह निर्दोश है।

सुधारात्मक दृष्टिकोण

कारागार का उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति को दण्डित करने का नहीं है, अपितु कारागार का यह भी उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सुधार लाया जाए, जिससे कि वह कारागार से बाहर जाने पर एक साधारण व्यक्ति तथा एक सम्मानित नागरिक की तरह जीवन यापन कर सकें। कारागार के अधिकारियों की भी यह जिम्मेदारी रहती है कि वह बंदियों को हीन–भावना से न देखें, बल्कि उनमें सुधार लाने की कोशिश करें। इसके लिए कारागार प्रशासन का यह दायित्व है कि वह कारागार में अच्छे कार्यों जैसे कि योगा आदि करवाये, जिससे कि बुद्धि व तन स्वस्थ रह सकें तथा अन्य उपयोगी कार्यों में बंदियों को नियमानुसार संलिप्त रखे, जिससे कि बंदियों में सुधार आ सके। महात्मा गाँधी जी के उन शब्दों को ध्यान में रखना सभी के लिए आवश्यक है।

''पाप से डरो, पापी से नहीं''

, , , ,

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी ..... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1 उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2 पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3 वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4 उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6 महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7 वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8 भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9 मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10 मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11 मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12 भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13 उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14 झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15 किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16 मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17 बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18 नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19 उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20 मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21 प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22 दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24 हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25 बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं

44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य–सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल